बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

अ0सं0–3/अ0प्र0–1–127/2022 35 /पटना, दिनांक– 20.8.24

बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर आहो कृति टोला चौकी एवं विष्णुपुर आहोक के बीच निर्मित 8X24.75 मी0 आकार के उच्च स्तरीय पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का डेक स्लैब के टूट कर नदी में गिर जाने की घटना की जाँच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गयी।

2. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक मे विभागीय पत्रांक–2145 अनु0 दिनांक–18.12.2022 द्वारा श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री रजक से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय कार्यालय आदेश सं0–62–सह–पठित ज्ञापांक 2259 दिनांक 27.12.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क)के तहत निलंबित किया गया। साथ ही इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–12–सहपठित ज्ञापांक 133 (अनु0) दिनांक 12.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता–3 के अधीन विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।सम्प्रति जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

3. इसी बीच श्री रजक, निलंबित कनीय अभियंता का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति होने के फलस्वरूप जीवन –यापन मे कठिनाई होने के कारण निलंबन/आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 13888 दिनांक 21.07.2023 एवं 21590 दिनांक 23.11.2023 में सन्निहित प्रावधान के आलोक मे अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के अध्यक्षता मे दिनांक 02.08.2024 को सम्पन्न हुई बैठक मे की गयी अनुशंसा से संबंधित विभागीय कार्यवाही ज्ञापांक 2256 दिनांक 09.08.2024 मे संसूचित निर्णय के तहत श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित के आसन्न सेवानिवृति को देखते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य मे श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,पटना के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुये उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

5. निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् श्री सतीश रजक, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

6. श्री सतीश रजक के निलंबन अवधि का विनियमन का निर्णय उनके विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 2310 /पटना, दिनांकः– 20.8.24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार का कार्यालय,बिहार,पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 2310 /पटना, दिनांकः– 20-8-24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/ मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, समस्तीपुर/बेगुसराय/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4 एवं 12 ग्रामीण कार्य विभाग/श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित मुख्य अभियंता–3 का कार्यालय, बिहार, पटना एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 2310 /पटना, दिनांकः– 20-8-24

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव